न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–16/2022

राज्य

बनाम्

सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता

—: आदेश :—

28/07/-7

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1093/अप0शा0 दिनांक 31.05.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–270/2021 दिनांक–27.12.2021 से संबंधित है। कांड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH13F-3783 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी सूर्यदेव रविदास, स0सु0अ0नि0, मगध कोल परियोजना कुण्डी के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–270/2021 दिनांक–27.12.2021 दर्ज किया गया। सूर्यदेव रविदास, स0सु0अ0नि0, मगध कोल परियोजना कुण्डी के द्वारा दिनांक 26.12.2021 को लगभग 10:45 बजे जांच के क्रम में चमातु खान परिसर में 19 नं0 चमातु कांटाघर के लगभग 350 फीट उत्तर में एक 12 चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH13F-3783 चेसीस नं0–MAT466458K3D10781 पाया गया। हाईवा में कोई चालक नहीं था। कांटाघरों से भी उक्त हाईवा का जांच किया गया परंतु इसका कोई दस्तावेज नहीं मिला। हाईवा में लगभग 23 टन कोयला लदा हुआ पाया गया। हाईवा को सुरक्षार्थ अमरवाडीह पुलिस पिकेट में रखा गया। अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि काण्ड में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH13F-3783 चेसीस नं0–MAT466458K3D10781 इंजन नं0–ISB5.9B4S180 K191D63782421 के मालिक सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता पे0–त्रिलोकी साव, सा0–गैंगपुर, थाना–गीधौर, जिला–चतरा है। उक्त जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH13F-3783 को राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से उनके पते पर भेजा गया तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त हाईवा

रजि0 नं0—JH13F-3783 के वाहन मालिक द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त हाईवा रजि0 नं0—JH13F-3783 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन में उपयोग किया गया है। अतः हाईवा रजि0 नं0—JH13F-3783 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/03/2

उपायुक्त,
लातेहार।

28/03/2

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 14:14:31 +05:30
Location: 10.93.47.5